न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0-08/2016

खैरून नेशा एवं अन्य...वादीगण

बनाम

नगीना गद्दी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.09.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.09.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0-01 नगीना गद्दी की मृत्यु दिनांक 10.07.2024 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0-01 नगीना गद्दी के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी विधवा भिखईम खातुन तथा एक लडकी जरीना खातुन को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0-01 नगीना गद्दी का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0-01 नगीना गद्दी की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। प्रस्तुत आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0-01 नगीना गद्दी का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–08/2016

खैरून नेशा एवं अन्य...वादीगण

बनाम

नगीना गद्दी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **18.09.2024**	तद्पश्चात वादीगण की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 28.10.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	